मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 (भाद्र 24, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से पहले प्रश्न को पुकारा गया. व्यवधान के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित रहने से शेष तारांकित प्रश्नोत्तर नहीं हुए. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 128 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 142 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि पोषण आहार के स्थगन प्रस्ताव की सूचना के संबंध में चर्चा कराने का कल आश्वासन दिया गया था.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रतिपक्ष ने कल मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य सुना नहीं इसलिए अब इस पर चर्चा का औचित्य नहीं है.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि – "जब सदन के नेता अपना वक्तव्य दे रहे थे तब मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद नेता प्रतिपक्ष को प्रतिक्रिया व्यक्त करने और अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा. मैंने वक्तव्य की समाप्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए भी आमंत्रित भी किया था लेकिन व्यवधान के कारण वह बोल नहीं पाए और उन्हें दूसरा बोलने का अवसर नहीं आया. आप कक्ष में आकर बातचीत कर लें कि कोई तरीका इस हेतु निकाला जा सकता है.

3. व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित होना

दोनों पक्षों के मध्य व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.06 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.17 बजे समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

4. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान से कार्यवाही स्थगित होना

श्री पांचीलाल मेड़ा, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य द्वारा शर्ट की बटन खुले हुए गर्भगृह में प्रवेश किया. श्री उमाकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने अपनी जान को खतरा होने की बात को कहते हुए श्री संजीव सिंह और श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी, सदस्यगण के साथ गर्भगृह में प्रवेश किया.

व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 11.19 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित की जाकर मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

5. अध्यक्षीय घोषणा

सदन में तख्तियों के साथ प्रवेश करते समय सुरक्षाकर्मियों द्वारा इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों को रोका जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "कल सदन में प्रश्नकाल के दौरान प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया कि उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से सुरक्षा बलों द्वारा गेट पर रोका गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई. माननीय सदस्यों द्वारा यह घटना संज्ञान में लाने पर मेरे द्वारा जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए. जबकि ये माननीय सदस्य अपने हाथों में प्रदर्शन हेतु तख्तियां लिये हुये थे, इस कारण सुरक्षा अमले द्वारा सभा के प्रवेश द्वार पर उनसे सदन में तख्तियां न ले जाने का अनुरोध किया गया एवं तख्तियां जमा कराने में यह स्थिति निर्मित हुई. परंतु मेरी जांच संबंधी व्यवस्था के बाद भी कतिपय माननीय सदस्य गर्भगृह में नारेबाजी करने लगे एवं एक माननीय सदस्य बिना अनुमति के अपने वस्त्र गृहमंत्री को दिखाने उनकी सीट तक पहुंच गए, जो उचित नहीं था. इसी क्रम में सत्ता पक्ष के एक सदस्य के साथ भी सदन के अंदर धक्का-मुक्की की स्थिति निर्मित हुई, जो यदि वरिष्ठ सदस्य हस्तक्षेप न करते तो अधिक अप्रिय हो सकती थी. मेरे मत में ये स्थितियां मध्यप्रदेश विधान सभा की गौरवशाली परंपराओं, आचरण एवं गरिमा के प्रतिकूल होने के साथ दु:खद हैं.

मेरे द्वारा सभा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा तख्तियां लेकर आने वाले माननीय सदस्यों से तख्तियां जमा कराने के समय निर्मित हुई स्थिति एवं सदस्यों के साथ सुरक्षा अमले के व्यवहार के संबंध में जांच के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवेदन भी मुझे प्राप्त हो गया है. इसमें विधान सभा के अपर सचिव (सुरक्षा) द्वारा सुरक्षा अधिकारियों तथा संबंधितों से स्पष्टीकरण व जानकारी प्राप्त कर घटनास्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के फुटेज आदि को गंभीरता पूर्वक देखकर प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया द्वार पर माननीय सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की एवं कपड़े फाड़े जाने जैसी स्थिति निर्मित होना नहीं पाया गया है. फिर भी मेरे द्वारा सत्र अवधि में सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे माननीय सदस्यों की गरिमा एवं सम्मान का पूरा ध्यान रखें तथा उनके विधायी कार्य के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित करें. मेरा पूरा संरक्षण सदस्यों के साथ है.

साथ ही मेरी माननीय सदस्यों से भी यह अपेक्षा है कि कल सदन के गर्भगृह में जो स्थिति निर्मित हुई, वह सदन की गरिमा एवं हमारी गौरवशाली परंपराओं के अनुकूल न होने से भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी."

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिहावल विधान सभा क्षेत्र सहित मध्यप्रदेश में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होने,

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की भोपाल जिले की हुजूर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वार्ड 83 में विभिन्न कालोनियों की सीवेज लाईन क्षतिग्रस्त होने,

(3) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की सीधी जिले के अंतर्गत तिलवारी जनकपुर मार्ग क्षतिग्रस्त होने,

(4) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य की देवास उज्जैन फोरलेन मार्ग पर बरसात के पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण न किये जाने,

(5) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की जबलपुर स्थित शास्त्री ब्रिज स्थित जर्जर फ्लाई ओवर के स्थान पर नये फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव, सदस्य की विदिशा शहर के नालों पर अतिक्रमण होने से जल भराव की स्थिति निर्मित होने,

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नगरीय क्षेत्र मकरोनिया में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की लोक निर्माण विभाग में सिक्योरिटी की राशियों में भारी भ्रष्टाचार होने,

(9) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई अंतर्गत सिवनी जिले में धान परिवहन के कार्य हेतु रेक पांईट न होने से कम दरों पर परिवहन न होने तथा

(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबद्ध आशा कार्यकर्ताओं को बेहद कम मानदेय मिलने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 पटल पर रखे.

(2) डॉ. (कुँवर) विजय शाह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

(3) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदन -

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण और वन्यप्राणी रहवासों के सतत् प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-1,

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सिंध परियोजना चरण- II के उद्देश्यों की उपलब्धि के निष्पादन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक -2,

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश में 74 वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(घ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व और पश्चात् विद्युत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-5, एवं

(च) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-6

पटल पर रखे.

(4) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक, वित्तीय वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वार्षिक प्रतिवेदन क्रमश: वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 पटल पर रखे.

(6) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(7) डॉ. प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 के अधीन अधिसूचनाएं -

(क) दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, तथा

(ख) दिनांक 6 मई, 2022

पटल पर रखीं.

(8) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

(9) श्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020 पटल पर रखा.

(10) श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2011-12, पटल पर रखा.

(पक्ष-विपक्ष के सदस्यगण के मध्य व्यवधान एवं नारेबाजी के बीच कार्यसूची में अंकित विषयों पर बिना चर्चा कार्यवाही निरंतर जारी रही)

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 3 के उप पद (1) से (4) तक में सम्मिलित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी और उनके उत्तर पटल पर रखे माने जाएंगे. तद्नुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की मंदसौर में कोरोना काल के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य.

(2) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य की रायसेन जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों का संबल योजना के तहत पंजीयन न किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(3) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य की जबलपुर में स्मार्ट सिटी क्षेत्र में सीवर लाईन का कार्य अपूर्ण होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(4) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य की चित्रकूट स्थित सिद्धा पहाड़ पर खनिज पट्टा दिये जाने से राम वन गमन पथ को नष्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

पढ़े हुए माने गए.

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति ने लोक लेखा समिति का चौंतीसवां से उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री पंचूलाल प्रजापति, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

10. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(2) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(3) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(4) श्री घनश्याम सिंह (जिला-दतिया)
(5) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला- छतरपुर)
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(7) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(8) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(9) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
(10) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(11) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(12) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(13) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(15) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(16) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(17) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(18) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(19) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)

(20) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(21) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(22) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(23) श्रीमती कल्पना वर्मा (जिला-सतना)
(24) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा शहर)
(25) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(26) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(27) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(28) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(29) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(30) डॉ. अशोक मर्सकोले (जिला-मंडला)
(31) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
(32) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(33) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(34) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(35) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)

11. वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एवं 57 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर नौ हजार, पांच सौ उन्नीस करोड़, तीन लाख, सत्तर हजार, तीन सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

13. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "आज की दैनिक कार्यसूची में अनुपूरक अनुमान के अतिरिक्त अन्य शासकीय विधेयक पुर:स्थापन, विचार एवं पारण के लिए सम्मिलित किये गये हैं. चूंकि इस सत्र हेतु शासकीय विधेयकों की अधिकता एवं विद्यमान सत्रावधि कम होने के कारण शासकीय विधेयकों की महत्ता, उपादेयता एवं पारण हेतु तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थाई आदेश की कंडिका-24 तथा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के परन्तुक में विद्यमान अपेक्षाओं को शिथिल कर मैंने आज की कार्यसूची में सम्मिलित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है."

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(2) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(7) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(8) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री इंदर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(11) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(12) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(13) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(14) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(15) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. (कुंवर) विजय शाह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(16) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. (कुंवर) विजय शाह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(17) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(18) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(19) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(20) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(21) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(22) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(23) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री भारत सिंह कुशवाह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

15. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना : प्रस्ताव

श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने सदन को यह सूचित किया कि – "विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त वित्तीय एवं अन्य आवश्यक शासकीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. राष्ट्रगान
'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

17. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 12.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 15 सितम्बर, 2022.